ायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर

व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

कदमा नं0 115/2017

जवीर पुत्र ग्यारसा जाति मीना निवासी देवी दरवाजा कस्बा कामां जिला भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

-अमरचन्द 2-रघुनाथ 3-रत्तीराम 4-बलवीर पिसरान ग्यारसा जाति मीना निवासी देवी दरवाजा कस्बा कामां

-रेखा पुत्री ग्यारसा पत्नि बदनसिंह हाल निवासी टान्डा तहसील सरधना जिला मेरठ (उ0प्र0)

-चिरोजा पुत्री ग्यारसा पत्नि चमनसिंह निवासी टान्डा तहसील सरधना जिला मेरठ (उ0प्र0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र आदेश स्थायी निषेधाज्ञा पत्र 212 आर0टी0एक्ट

स्थित अधिवक्ता

श्री प्रीतमसिंह प्रार्थी

श्री दुर्गादास

श्री अमित कुमार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 10.02.2021

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 र0टी0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 584/0. , 592/0.29, 593/0.29, 598/0.25, 599/0.38, 604/0.47, 607/0.49, 612/0.57, 7/0.80, 763/0.25, 809/0.27, 918/0.29, 919/0.23, 925/0.82, 9'28/0.04, 50/926/0.50, 7264/927/0.26, 7267/929/0.22, किता 18 रकवा 06.67 हैक्ट0 वाके म कस्बा कामां नं 01 का 1/3 हिस्सा तहसील कामां में स्थित है । दाखिल खारिज करते त्त तत्कालीन पटवारी एव तहसीलदार कामां द्वारा सायल का नाम छोड दिया गया । ससे वह खातेदारी अधिकारों से वंचित रह गया । पक्षकारान की मां खातेदार मु0 नानगी ा ग्यारसा दिनांक 16.10.2015 को फोत हो गयी । उसे भी पक्षकारा मुकदमा नहीं बनाया ा । बहिन अंगूरी भी फौत हो चुकी है । जिसके वारिस 7 लगा0 10 धर्मपाल, सुक्की ी को फरीकेन मुकदमा बनाया गया है यानि हम फरीकेन 1/3 हिस्सा ही विवादित किया । शेष सहकाश्तकारान के 2/3 हिस्सा से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिए 2/3 स्सा आराजी व शेष सहकाश्तकार को फरीक मुकदमा नहीं बनाया गया है । विवादित 1/3 स्सा पर हम फरीकेन सायल व गैरसायलान के पिता ग्यारसा का हिस्सा है । जो हमें ासत में मिला है । दाखिल खारिज करते समय मेरे अन्य भाई बहिनों के साथ सायल को ड दिया गया । जबकि मै अपनी बहिनों के साथ सामलात में काश्त करता चला आ रहा । अब हम सभी अलग अलग रह हैं । जिससे गैरसायलान के मन में बदयान्ति आ गई । ा हिस्सा देने से मना कर दिया । गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पत्र से पाबन्द

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

करावे कि आराजी मुतदाविया के 1/3 हिस्सा यानि 1/8 हिस्सा सायल को उनके हिस्सा पर काश्त करने में मजाहमत व मदाखलत न करें एवं उसके हिस्सा को रहन वय न करे । ऐसा कोई कार्य न करें जिससे सायल हकूक जायल हो ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैरसायलान जरिये नोटिस तलब कियाा गया । गैरसायलान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये । गैर सायलान ने बार बार जबाव के लिए समय चाहा गया । समय दिया गया । बावजूद पर्याप्त समय के गैरसायलान के जबाव पेश नही किया। गैरसायलान का जबाव दिनांक 18.11.2020 बन्द किया गया ।

सायल अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2067–70, नकल वोटर लिस्ट, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, नामान्तारण संख्या 2791 पेश की है ।

सायल अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी । सायल अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज लिखित तथ्यों को दोहराया । अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधारों का विवेचन किया जो निम्न प्रकार से है :–

प्रथम दृष्टया :–विवादित आराजी बावत प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य धारा 88, 89 राज0काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा का दावा विचाराधीन है। सायल अपने मृतक पिता ग्यारसा की पैत्तिक आराजी में अपने हकों की घोषणा चाहता है । सायल ने अपने प्रार्थना पत्र व बहस में बताया कि सायल के मृतक पिता ग्यारसा के विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मिग्रो द्वारा सायल का नाम छोड दिया गया । प्रार्थी अपने हिस्से के अनुसार विवादित आराजी के हकों की घोषणा चाहता है । सायल द्वारा साक्ष्य के रूप में नगरपालिका (नगरपालिका)की मतदाता सूची वर्ष 2000 व राशनकार्ड की फोटो प्रति ,मृत्यु प्रमाण पत्र मां नानगी, पेश की है । गैर सायलान अधिवक्ता ने अपनी बहस में सायल को विवादित आराजी के पूर्व खातेदार मृतक ग्यारसा के वारिस होने से इन्कार नहीं किया है । गैरसायल के अधिवक्ता ने अपने बहस में तर्क दिया कि सायल के बजह नामाकरण की अपील करनी चाहिये थी । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया सायल के पक्ष में है ।

–सुविधा का सन्तुलन –चूंकि मामला प्रथम दृष्टया सायल के पक्ष में है । अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में है ।

–अपूणनीय क्षति :– विवादित आराजी का यदि बेचान होता है या निर्माण किया जाता है । तो सायल को अपूणनीय क्षति होगी ।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर तीनों आधार सायल के पक्ष में है ।

आदेश

अतः आदेश है कि गैर सायलान को विवादित आराजी खसरा नम्बर 584/0.43, 592/0.9, 593/0.29, 598/0.25, 599/0.38, 604/0.47, 607/0.49, 612/0.57, 617/0.80, 763/0.5, 809/0.27, 918/0.29, 919/0.23, 925/0.82, 9'28/0.04, 7050/926/0.50,7264/927/0.6, 7267/929/0.22, किता 18 रकवा 06.67 हैक्ट0 वाके ग्राम कस्बा कामां नं01 में मृतक ग्यारसा

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

8.10.17
26/10/17
15/11/17

हिस्से 1/3 तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाता है ।

करण फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०